निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन 1947 (श0)

(सं0 पटना 1595) पटना, सोमवार, 6 अक्तूबर 2025

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

4 अक्तूबर 2025

सं० 11/न0वि0/गठन–08/2025 **3057/न0वि0एवंआ0वि0**—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (ख), 4, 5, 6 एव 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचार करने के पश्चात, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कॉलम 3 के अन्तर्गत आनेवाले पटना जिले के कॉलम 4 में वर्णित चौहद्दी (सीमाओं) के अन्दर नगर परिषद, खगौल क्षेत्र का गठन करते है, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या–1593 दिनांक–03.06.2025 द्वारा पूर्व प्रकाशित है तथा उक्त क्षेत्र में उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधान लागू होते हैं :–

क्र0 सं0	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम/थाना नं0	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर परिषद का क्षेत्रफल	नगर परिषद की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
जिला का नाम–पटना					
1	नगर परिषद, खगौल	नगर परिषद, खगौल पूर्ण ग्राम–सैदपुरा (51), आदमपुर कला (40), आदमपुर खुर्द (39), संदलपुर (43), बड़ी खगौल (49), आंशिक ग्राम– लखनी बिगहा(41), खेदलपुरा (48), मुस्तफापुर (36), आशोपुर(34), सरारी(44)	**उत्तर–** मुस्तफापुर (36), आशोपुर(34), नसीरपुर (45), उसरीकला (32) **दक्षिण–** महम्मदपुर कोरजी (41), भुसौला दानापुर(40), नवादा(39) **पूरब–** पटना नगर निगम(53), नोहसा (38)	9.4 वर्ग कि0मी0	65451

क्र0 सं0	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम/थाना नं0	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर परिषद का क्षेत्रफल	नगर परिषद की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
			पश्चिम– सरारी (44), गोरगावॉ (47)		

इस क्षेत्र को नगर परिषद, खगौल कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

---

4 अक्तूबर 2025

सं० 11/न0वि0/गठन–08/2025 अधिसूचना संख्या–**3057** दिनांक–**04.10.2025** का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

The 4th October 2025

No-11/N.Vi./Gathan-08/2025**-3057/UD&HD.—**In exercise of the powers conferred by sections 3 (1) (a), 4, 5, 6 and 8 of the Bihar Municipalities Act, 2007 (Bihar Act, 11, 2007) (as amended), the Governor of Bihar, after due consideration of the objections received, constitutes Nagar Parishad, Khagaul area, within the boundaries as mentioned in column 4 of Patna district falling under column 3 for the purposes of the said Act, the draft of which has been previously published by the departmental notification number 1593 dated 03.06.2025 and applies the relevant provisions of the said Act in the said areas:-

Sl. no	**Name of Urban Body**	**Name /thana no. of included Villages**	**Boundary (with thana no.) of Nagar Parishad**	**Area of Nagar Parishad**	**Total Population of Nagar Parishad (as per census year, 2011)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Name of District- Patna					
1	Nagar Parishad, Khagaul.	Nagar Parishad, Khagaul Full Village- Saidpura (51), Aadampur Kala (40), Aadampur khurd(39), Sandalpur (43), Badi Khagaul(49) Part Village-Lakhani Bigha(41), Khedalpura (48), Mustafapur(36), Aashopur (34), Sarari(44)	**North-** Mustafapur(36), Aashopur (34), Nasirpur(45), Usriikala(32) **South-** Mahammadpur Korji(41), Bhushaula Danapur(40), Nawada(39) **East-** Patna Nagar Nigam(53), Nohsa(38)	9.4 Sq.k.m	65451

			West- Sarari (44), Gorwanwa (47)		

This area will be called Nagar Parishad, Khagaul.

2. This notification shall come in to force at once.

By the order of the Governor of Bihar,
Abhay Kumar Singh,
Secretary to Government.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)1595-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in